12.01 hrs.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कौलिंग एटेंशन नोटिस दिया था .....

अध्यक्ष महोदय : यहां आप नहीं पूछ सकते । अगर आप मेरे पास आ जायें तो मैं उसको निकाल लूंगा और मैं उसको देख लूंगा ।

Shri B. K. Das.

श्री बृजराज सिंह : मेरी अर्ज है कि सी० पी० आई० की एक गुप्त योजना चल रही है सरकार को उलटने के लिए और मैं चाहता था कि वह कम से कम यहां हाउस के फलोर पर डिस्कस हो जाता तो पता चल जाता कि गवर्नमेंट को उस बारे में क्या कहना है ...

Shri Daji (Indore): I seek your ruling on a point ...

अध्यक्ष महोदय : यहां डिस्कस करने के लिए मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है । अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ जायं । श्री बी० के० दास ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : जम्मू में दुर्घटना के बारे में मैंने कल भी एक कौलिंग एटेंशन नोटिस दिया था और आज भी .....

अध्यक्ष महोदय : यहां उसके बारे में माननीय सदस्य जिक्र नहीं कर सकते । मैंने माननीय सदस्यों को कितनी ही बार कहा है कि यहां इस तरह से उठ कर पूछना और प्रोसीडिंग्स में बाधा डालना उचित नहीं है ।

Shri B. K. Das.

श्री ओंकार लाल बेरवा : इसका क्या यह मतलब हुआ कि यहां पर जम्मू तथा काश्मीर की घटनाओं के बारे में कोई जिक्र हो ही नहीं सकता है ? ....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : कौलिंग एटेंशन नोटिसेज होते हैं वह नामंजूर हो जाते हैं । इससे तो बेहतर होगा कि यह कह दिया जाय या यह नियम बना दिया जाये कि जम्मू व काश्मीर के बारे में हाउस में बात मत करो .....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं कल को एक सूचना बतलाऊं .....

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाये । कौलिंग एटेंशन नोटिसेज पर मैम्बर साहबान की नाराजगी बहुत दुरस्त है मगर वे यह भी ख्याल करें कि एक एक पार्टी के ५, ५, ७, ७ नोटिसेज मैम्बर्स देते हैं और एक एक मैम्बर अपनी तरफ से अकेला ५, ५ और ७, ७ दे, अब सारे दिन में एक ही कंसिडर हो सकता है तो मैम्बर्स खुद फैसला नहीं कर सकते कि कौनसा उसमें महत्वपूर्ण है । इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक पार्टी सोच कर एक नोटिस दिया करे तो कुछ समझ में भी आ सकता है । अब हर एक मेम्बर अगर देना चाहे तो शिकायत तो हर एक को होनी ही हुई । २५ ३० मेरे पास सुबह आये मैंने उनको नामंजूर किया तो उतने आदमी तो जरूर मायूस हुए होंगे ही कि उनका कौलिंग एटेंशन नोटिस मंजूर नहीं हुआ । मैं मैम्बर साहबान से दरख्वास्त करूंगा जैसा कि पहले भी कई मर्तबा कर चुका हू कि अगर किसी को शिकायत हो तो वह चैम्बर में मेरे पास आ जाय । मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा और अगर वह मुझे उस बारे में कनविंस कर लेंगे तो मुझे उसको खोलने में कोई उज्र न होगा लेकिन यह

जरूरी नहीं है कि इस तरह से हाउस की जो रेगुलर कार्यवाही चल रही हो उसको ओब्सट्रक्ट किया जाय । माननीय सदस्यों को कार्यवाही में इस तरह से बाधा नहीं डालना चाहिए । मि० बी० के० दास ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : हाउस में आने के बाद हमें यह सूचना मिलती है कि हमारा कौलिंग एटेंशन नोटिस नामंजर कर दिया गया है । अगर हमें उस बारे में पहले सूचना मिल जाये तो हम हाउस में जिक्र न करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी कही है । लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि जब मैं हाउस में चलने को तैयार होता हूं तो यह नोटिसेज मुझे मिलते रहते हैं और यह तब तक मुझे मिलते रहते हैं जब तक मार्शल यह नहीं कहता कि हाउस के अन्दर चलने का समय हो गया है और मैं अपनी कुर्सी छोड़ कर खड़ा नहीं हो जाता । ऐसी हालत में मैं आपको पहले सूचना कैसे दे सकता हूं । उस बारे में सूचना तो आप लोगों को बाद में ही किसी वक्त मिलेगी ।

श्री बृजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बृजराज सिंह : मैं केवल आधा मिनट ही लूंगा । यह लोकमत का सवाल है । पार्टी बेसिस पर यह डिस्कस नहीं होना चाहिए बल्कि जो महत्वपूर्ण विषय हो उस पर विचार होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब कौन महत्वपूर्ण है और कौन महत्वपूर्ण नहीं है इसका फैसला कोई माननीय सदस्यों को तो करना नहीं है । यह हो सकता है कि माननीय सदस्य की राय में उन्होंने जिसका नोटिस दिया है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय हो लेकिन उसके लिए वे मुझसे मिलें और मुझे उस बारे में कनविंस करने की कोशिश करें ।

श्री बृजराज सिंह : पार्टी बेसिस पर आपने कहा कि यह नोटिसेज लाये जायें तो मेरा कहना है कि चूंकि कोई नोटिस पार्टी बेसिस पर आया है इसलिए वह महत्वपूर्ण हो जाएगा तो पार्टी की बेसिस पर तो उसका महत्व बनता नहीं है बल्कि .....

अध्यक्ष महोदय : अब हर एक इंडिविजुएल मेम्बर ने तो इस बारे में फैसला करना नहीं है । किसी ने तो उस पर फैसला लेना ही है । सदन ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं इस बारे में फैसला करूं और मैं उन पर फैसला लेता हूं । आपने तो मुझे इसका अधिकार दिया है । अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हाउस वह अधिकार मुझसे छीन ले मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

श्री कछवाय (देवास) : दो नोटिस जो कि दस बजे के पहले दिये गये थे उनका तो जवाब आना चाहिए .....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि आप इस तरह से बीच में रुकावट डालें ।

12.04 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

DEPARTMENT OF POSTS AND TELEGRAPHS —*contd.*

Mr. Speaker: Further discussion and Voting on the Demands for Grants under the control of the Department of Posts and Telegraphs and also the cut motions moved.

We have 2 hours and 25 minutes left. How long will the hon. Minister take?

The Minister of Law (Shri A K. Sen): About 30 or 40 minutes at the most.

Mr. Speaker: I will call him at 2 P.M. Shri B. K. Das may continue his speech.